

फर्द अहकाम

यालय

सहायक कलेक्टर - चौमू (जयपुर)

हनुमानसिंह बनाम मुंजाराम

मुकदमा संख्या / वर्ष

: 80 / 2020
T.L.

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/10/21	<p>प्रसाशिका ऑफिसर दौरे / अवकाश पर हैं। अतः अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/11/21 को पेश हो <u>का</u></p>	
	11/11/21	<p>आज यह प्रजावली प्रशासन गांवो के संग अभियान ग्राम किशनपुरा में पेश हुई। ककील जयरा उपा। अध्यापि. 8 को अक्षर ले की - पं. प्रकाश सेनी एड. ने उ. नं. दी प्रकरण में सुना गया। मूल काद लकासमा व स्ट्याड निषेधासा का है जो प्राथमिक डिडी किया जा. ककील प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30/7/20 को अक्षरिम अक्षर निषेधासा जारी की गई। उक्त अक्षरिम अक्षर निषेधासा को लोकेसमा मूल काद कन्फर्म किया जाना उचित मनीत देखते अब इस न्यायालय द्वारा जारी अक्षरिम अक्षर निषेधासा दिनांक 30/7/20 को लोकेसमा मूल काद कन्फर्म किया जावती प्रजावली केसल शुमा टोका दर्ज नम्बर से कम ये तथा मूल काद के साथ रहे।</p>	<p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर चौमू (जयपुर)</p>

